मसूदा (अजमेर)

30-9-16 प्रार्थी स्वयं तथा उसके अभिभाषक उपस्थित। उन्होंने प्रकरण पर आगे कार्यवाही नहीं चलाने का आग्रह करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने का आदेशिका पर अंकित किया। चूंकि जब स्वयं ही अपने प्रा. पत्र पर आगे कार्यवाही नहीं चाहता है तो व्यर्थ में लम्बित रखना न्यायोचित नहीं है अतः प्रा. पत्र 1 ब पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा आदेश दिनांक 9-9-16 को रद्दबातल किया जाता है मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल नकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

मेरे द्वारा मेरे अपने अधिवक्ता के द्वारा मेरे द्वारा करवाई। अतः पत्रावली को [illegible] के द्वारा दिनांक [illegible] को दाखिल दफ्तर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 15:27:59 IST
Reason: SelfAttested